

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0236 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/10/2024 15:59 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(1)(c) |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(1)(d) |
| 3 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(2) |
| 4 | भा दं सं 1860 | 409 |
| 5 | भा दं सं 1860 | 477-A |
| 6 | भा दं सं 1860 | 120-B |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 16/03/2010 Date To (दिनांक तक): 31/12/2014
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/10/2024 Time (समय): 14:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 25/10/2024 15:59:14 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 65 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): SAWANTSAR, DUNGARGARH DISTRICT BIKNER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): JAGDISH

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMDHAN VISHNOI

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1967

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|-------|---------|-----------|
| | | |

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|------------------|------------------------------|---|
| 1 | वर्तमान पता | SAWANTSAR, SHRIDUNGRGAH, SHRI DUNGARGARH, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | SAWANTSAR, SHRIDUNGRGAH, SHRI DUNGARGARH, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):



7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 1 | OMPRAKESH MEGHWAL | | पिता: KALURAM | 1. SANWATSAR, SHRIDUNGARGA H, SHRI DUNGARGARH, BIKANER, RAJA |
| 2 | PRITHVIRAJ TIWARI AND OTHERS | | पिता: LEKHRAM | 1. WARD NO.30, GANDHI CHOWK, NAPASAR, BIKANER, R AJASTHAN, INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 2,70,518.00 |

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,70,518.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|--------------------|--------------------------------------|
| | |

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

महोदय, निवेदन है कि माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर से इस्तगासा संख्या 02/2015, जगदीश बनाम ओमप्रकाश वगैरह तहरीरी माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30/07/2015 जगदीश बनाम ओमप्रकाश मेघवाल, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत सांवतसर, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ एवं अन्य अंतर्गत धारा 156 (3) सीआरपीसी इस आशय का प्राप्त हुआ कि:- 1.यह कि अप्रार्थी सं. 01 तत्कालीन जन प्रतिनिधि होने के कारण लोकसेवक रहा व अप्रार्थी सं. 2 प्राईवेट व्यक्ति है, जिसने विभिन्न अपराधों में अप्रार्थीगण सं. 1 का सहयोग किया है। चूंकि तत्कालीन सरपंच एवं मेट व्यक्ति प्राईवेट व्यक्ति होने के कारण दोनों ही अप्रार्थीगणों के विरुद्ध जांच या प्रसंज्ञान हेतु अभियोजन स्वीकृति वांछित नहीं है। 2.यह कि अप्रार्थीगणों ने आपसी मिलीभगत कर अपनी पदीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए सरकारी नीतियों को ताक में रखते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्रतिकूल कार्य करते हुए कूटरचित मस्ट्रोल भरकर विभिन्न योजनाओं में करोड़ों रुपयों का स्वीय प्राप्त करते हुए सरकारी कोष को हानि पहुंचाई है। 3.यह कि मस्ट्रोल सं. 3939 की क्रम सं. 7 पर दिनांक 16.03.2010 से 31.03.2010 तक भंवरलाल पुत्र श्री बुधराम बिश्रोई, क्रम सं. 5 पर इसी अवधि में श्रवणराम पुत्र भंवरलाल, क्र.सं. 10 पर इसी अवधि में सुशील पुत्र भंवरलाल का नाम फर्जी रूप से एस.एफ.सी. योजना के अंतर्गत काम करना बताकर इन तीनों व्यक्तियों के नाम से फर्जी भुगतान उठाकर राजकोष को हानि कारित की है, जबकि उपरोक्त तीनों ही व्यक्तियों ने उक्त कार्य नहीं किया व न ही भुगतान उठाया है। इस तथ्य की ताहिद हेतु भंवरलाल का शपथ पत्र फ्लेग "सी" पर अवलोकनार्थ प्रेषित है। 4.यह कि मस्ट्रोल क्रमांक 3942 योजना एस.एफ.सी. के अन्तर्गत क्र.सं. 3 पर गोविन्द राम पुत्र बलूराम बिश्रोई, क्र.सं. 6 पर वीरबल राम पुत्र श्री बलूराम, बजरंग लाल पुत्र वीरबल राम का नाम क्र.सं. 9 पर उक्त योजना में दिनांक 16.3.2010 से 31.3.2010 तक ग्राम सांवतसर में भंवरलाल की ढाणी से चिकाणा जोहड़ रा.प्रा. वि. के जलकुण्ड तक पी.वी.सी. पाईप लाईन कार्य किये बिना ही इनके भुगतान फर्जी एवं कूटरचित मस्ट्रोल इत्यादि तैयार कर इन तीनों के नाम से फर्जी भुगतान उठाकर राजकोष को हानि कारित की है, जबकि उक्त तीनों मजदूरों ने इस प्रकार का कोई कार्य कभी नहीं किया। इस तथ्य की पुष्टि हेतु गोविन्दराम का शपथ पत्र फ्लेग "डी" पर वीरबल राम का शपथ पत्र फ्लेग "ई" पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। 5.यह कि मस्ट्रोल सं. 42 में क्र.सं. 7 पर हनुमान पुत्र चन्दूलाल, क्र.सं. 8 पर मांगीलाल पुत्र बुधराम का नाम, मस्ट्रोल नं. 3941 की क्र.सं. 6 पर मनोहर लाल पुत्र जीतूराम का नाम, क्र.सं. 3 पर जगदीश पुत्र वीरबलराम का नाम, मस्ट्रोल नं. 3936 में क्र.सं. 7 पर चौथाराम पुत्र हमीराराम का नाम फर्जी रूप से अप्रार्थीगणों ने दर्ज कर फर्जी दस्तावेजातों से भुगतान उठाया है। उक्त मस्ट्रोल 3941 में क्र.सं. 3 पर जगदीश से 16.03.2010 से 31.03.2010 तक काम कर भुगतान उठाया है, उस अवधि में जगदीश केंद्रीय मा. शिक्षा बोर्ड दिल्ली की परीक्षा बीकानेर दे रहा था, जबकि इसके द्वारा इसी दिनांक को पी.वी.सी. लाईन डालना बताकर भुगतान उठाया गया है। इससे पूर्णतया फर्जी भुगतान की पुष्टि होती है। उक्त तथ्यों की ताईद हेतु जगदीश का शपथ पत्र फ्लेग "जी" पर मय मार्कशीट की प्रति व अन्य हनुमान, मांगीलाल, मनोहरलाल के शपथ पत्र फ्लेग "एच" पर अवलोकनार्थ प्रेषित है। 6.यह कि मस्ट्रोल नं. 3939, 3942, 3936, 3941 के उपरोक्त विवरण के मस्ट्रोलों में अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान उठाये गये कूटरचित मस्ट्रोल अप्रार्थीगणों द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में तैयार किये गये हैं, जिनकी फोटो प्रतियां फ्लेग "आई" से "जे" पर अवलोकनार्थ है। 7.यह कि उपरोक्त मस्ट्रोल के अलावा विवरण अंकित मस्ट्रोल के मजदूर एवं कारीगर एक ही अवधि में विभिन्न जगहों पर कार्य करते हुए दर्शाकर अप्रार्थीगणों ने कूटरचित मस्ट्रोल तैयार कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति को अपने पद का दुरुपयोग को रोका

पर सरकारी राशि को फर्जी रूप से उठाकर राजकोष का अनुमानित विवरण मस्ट्रोलों में करीब 3 लाख की हानि कारित की है। 8. यह कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.06.2013 से 15.06.2013 तक की अवधि में मस्ट्रोल सं. 7759, 7831, 7760, 7761, 7762, 7760 भरे हुए, जिसमें मस्ट्रोल नं. 7759 की क्र.सं. 1, मस्ट्रोल नं. 7831 में क्र.सं. 5 पर किशनलाल पुत्र दुर्गाराम कारीगर व मेट के रूप से एक ही व्यक्ति सार्वजनिक हाल निर्माण व दूसरी तरफ ग्रेवल सड़क बनाना, मस्ट्रोल नं. 7760 पर क्र.सं. 10 पर, मस्ट्रोल नं. 7831 पर क्र.सं. 10 पर द्रोपती पत्नी दलीप कुमार की दो जगह एक ही अवधि में कार्य करना बताया है। मस्ट्रोल नं. 7761 पर क्र.सं. 5 व मस्ट्रोल सं. 7762 पर क्र.सं. 5 पर घनश्याम पुत्र जगनाथ को दो जगह कारीगर, इसी दोनों मस्ट्रोलों में उसकी पत्नी विभा का नाम क्र.सं. 6 पर क्र.सं. 8 पर दो जगह नाम करना बताया है, इन्हीं मस्ट्रोलों में राजकुमार पुत्र पूनमचंद को दो जगह कारीगर, रिछपाल पुत्र भंवरलाल को दो जगह मनोज कुमार को उपरोक्त दोनों के कारीगर बताकर दोहरा भुगतान अपने पद का दुरुपयोग कर फर्जी रूप से उठाया गया है। तथ्यों की ताईद हेतु मस्ट्रोलों के अवलोकन से सुस्पष्ट है। उक्त मस्ट्रोल फ्लेग "के" पर अवलोकनार्थ है। 9. यह कि मस्ट्रोल सं. 7078 व 7073 में दिनांक 01.02.2013 से 15.02.2013 को दो अलग-अलग कार्यों के 10 में से 8 व्यक्तियों के द्वारा समान कार्य करना बताकर अप्रार्थीगणों ने अपनी पदीय कल्तव्य विमुखता से उक्त कूटरचित मस्ट्रोलों से राज नीतियों की क्रियान्विति रोकी व राजकोष को हानि कारित की है। उक्त तथ्यों की ताईद उक्त मस्ट्रोलों के अवलोकन से सुस्पष्ट है, जो फ्लेग "एल" पर अवलोकनार्थ है। 10. यह कि एक ही अवधि में दो जगह बिना कार्य किये हुए ही भुगतान की स्थिति मस्ट्रोल सं. 7349, 7331, 7332, 7350 में दिनांक 01.03.2013 से 15.03.2013 तक की अवधि में, मस्ट्रोल नं. 7232 व 7230 दिनांक 16.02.2013 से 28.02.2013 तक की अवधि में, मस्ट्रोल नं. 7158, 7467, 7156, 7154, 7160, 7468 व 7152 जो दिनांक 16.03.2012 से 31.03.2013 तक में, मस्ट्रोल नं. 7332, 7330, 7328, 73750, 7331 दिनांक 30.01.2013 से 15.03.2013 तक में, मस्ट्रोल सं. 6253, 6255, 6259, 6359, 6349 दिनांक 01.09.2012 से 15.09.2012 तक में, मस्ट्रोल सं. 4855 व 4856 दिनांक 16.02.2011 से 28.02.2011 तक में, मस्ट्रोल सं. 8547, 7837 दिनांक 01.10.2013 से 15.10.2013 तक में, मस्ट्रोल नं. 6536 व 6534 दिनांक 16.10.2012 से 31.10.2013 तक में, मस्ट्रोल सं. 7934 व 33 दिनांक 01.07.2013 से 15.07.2013 तक में एक ही अवधि में एक एक कारीगर/मजदूर दो व तीन जगहों पर फर्जी काम करना बताकर अपनी पदीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए राजकोष को हानि कारित की है। अप्रार्थीगणों के उक्त मस्ट्रोल पद का दुरुपयोग कर फर्जी एवं कूटरचित भरे जाने की ताईद उपरोक्त मस्ट्रोलों के अवलोकन से सुस्पष्ट है। उक्त मस्ट्रोलों की फोटो प्रतियां फ्लेग "एम" से "एन" तक अवलोकनार्थ प्रेषित है। 11. यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त आशय के अपराध की जानकारी एसीबी चौकी बीकानेर को दी तो उन्होने बिना कोर्ट के आदेश के जांच करने से मना कर दिया। 12. यह कि उक्त मामला बीकानेर एसीबी चौकी का होने के कारण श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए मस्ट्रोल सं. 3939, 3942, 4241, 3941, 3936, 7759, 7831, 7760, 7761, 7762, 7078, 7073, 7349, 7331, 7332, 7350, 7158, 7467, 7156, 7154, 7160, 7468, 7153, 7328, 3032, 6253, 55, 59, 6349, 4601, 4602, 4674, 4855, 4856, 8547, 7837, 6533, 36, 7934, 7933 कुल 43 मस्ट्रोलों में बिना कोई काम करवाये अपने 2010 से 2014 के कार्यकाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति करने की आड़ में कूटरचित मस्ट्रोलस संबंधित मेट्स अप्रार्थी सं. 2 के साथ मिलीभगत कर राजकोष से अनुमानित इन मस्ट्रोलस में करीब 20 लाख रुपये की हानि कारित की है, संलग्न मस्ट्रोल एवं शपथ पत्र के अवलोकन से उपरोक्त अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है। अप्रार्थीगणों का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (सी) (डी) (2) एवं सपठित धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी की श्रेणी में आता है। तत्पश्चात् उपरोक्त के संबंध में माननीय न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, बीकानेर के आदेश दिनांक 30.7.2015 की पालना में ब्यूरो मुख्यालय पर प्राथमिक जांच सं. 49/15, दिनांक 14.8.15 दर्ज की जाकर प्राथमिक जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान तत्कालीन जांच अधिकारियों द्वारा परिवादी श्री जगदीश राम, श्री भंवरलाल, श्री श्रवण राम, श्री सुशील कुमार, बीरबल राम, श्री बजरंग लाल, श्री जगदीश, श्री मनोहर लाल, श्री हनुमान सिंह व श्री मूलाराम महिया, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सांवतसर के बयान लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण श्री ओमप्रकाश व श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी के स्पष्टीकरण बयान लेखबद्ध किये गये। इस्तगासा में अंकित सभी मस्ट्रोल की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई व इस्तगासा के बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 में अंकित कारीगर/मजदूरों के बैंक खातों के स्टेटमेंट की प्रतियां सम्बंधित बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सांवतसर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् संपूर्ण जांच संपन्न होने पर तत्कालीन जांच अधिकारी श्री मनोज कुमार, पुलिस निरीक्षक द्वारा निम्नांकितानुसार निष्कर्ष पाया गया:- परिवादी श्री जगदीश राम द्वारा अपने इस्तगासा के बिन्दु सं. 3, 4 व 5 में अंकित किया गया है कि भंवरलाल पुत्र बुधराम बिश्रोई, श्रवणराम पुत्र भंवरलाल बिश्रोई, सुशील पुत्र भंवरलाल बिश्रोई, गोविन्द राम पुत्र बालूराम बिश्रोई, बीरबलराम पुत्र बल्लूराम बिश्रोई, बजरंगलाल पुत्र बीरबलराम बिश्रोई, जगदीश पुत्र बीरबलराम, मांगीलाल पुत्र बुधराम बिश्रोई, मनोहरलाल पुत्र जीतुराम बिश्रोई, चौथाराम पुत्र हमीराराम बिश्रोई, व हनुमान पुत्र चन्दुलाल बिश्रोई, के द्वारा इस्तगासा में अंकित कार्य नहीं किया तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त व्यक्तियों के नाम फर्जी तरीके से मस्ट्रोल में अंकित

कर इनके नाम का भुगतान फर्जी तरीके से उठाकर राजकोष को हानि कारित की है। इस आरोप के सम्बंध में सम्बंधितों सर्वश्री भंवरलाल पुत्र बुधराम बिश्रोई, श्रवणराम पुत्र भंवरलाल बिश्रोई, सुशील पुत्र भंवरलाल बिश्रोई, बीरबलराम पुत्र बल्लूराम बिश्रोई, बजरंगलाल पुत्र बीरबलराम बिश्रोई, जगदीश पुत्र बीरबलराम, मनोहरलाल पुत्र जीतुराम बिश्रोई, व हनुमान पुत्र चन्दुलाल बिश्रोई के बयान लेखबद्ध किये गये। श्री चौथाराम पुत्र श्री हमीराराम की मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। उक्त सभी ने अपने बयानों में परिवादी द्वारा इस्तगासे में अंकित आरोप से इन्कार करते हुए बताया कि उन सभी द्वारा मस्ट्रोलों में अंकित कार्य किया गया था तथा उक्त कार्य के बदले ग्राम पंचायत द्वारा उनके बैंक खातों में मजदूरी के रूपये जमा करवाये गये थे तथा सभी सम्बंधित द्वारा अपने-अपने बैंक खातों से उक्त राशि निकलवाई गई। सम्बंधितों को कार्य के बदले किये गये भुगतान की जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा सभी की मजदूरी उनके बैंक खातों में जमा करवाई गई है। बैंक खातों के स्टेटमेंट की प्रति प्राप्त कर अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त सभी व्यक्तियों के बैंक खातों में मस्टर रोल में अंकित राशि जमा हुई है तथा उक्त राशि का खाताधारकों द्वारा उपयोग किया गया है अर्थात् मस्टर रोल में अंकित कार्य की मजदूरी ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार इस्तगासा के बिन्दु सं. 3, 4 व 5 में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। इस्तगासा के बिन्दु सं. 7 व 8 के सम्बंध में जांच की गई तो पाया गया कि ग्राम पंचायत सांवतसर द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को एक ही समय पर दो/तीन कार्यों पर कार्य करना बताते हुए दोहरा भुगतान करना पाया गया है -

क्र.सं. श्रमिक का नाम मस्टर रोल सं. कार्य का नाम कार्य अवधि 1- किशन लाल पुत्र दूर्गाराम म.सं. 7759 के क्र.सं. 1 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7831 के क्र. सं. 5 पर ग्रेवल सड़क निर्माण लूहारों के घर से बिग्गाजी मंदिर होते हुए श्मसान भूमि तक लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक 2- द्रोपती पत्नी दलीप कुमार म.सं. 7760 के क्र.सं. 10 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7831 के क्र.सं. 10 पर ग्रेवल सड़क निर्माण लूहारों के घर से बिग्गाजी मंदिर होते हुए श्मसान भूमि तक लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक 3- घनश्याम पुत्र जगनाथ म.सं. 7761 के क्र.सं. 5 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 5 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 4- विमा पत्नी घनश्याम म.सं. 7761 के क्र.सं. 6 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 8 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 5- राजकुमार पुत्र पूनमचंद म.सं. 7761 के क्र.सं. 4 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 7 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 6- रिद्धपाल पुत्र भंवरलाल म.सं. 7761 के क्र.सं. 7 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 4 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 7- मनोज कुमार पुत्र रामकरण म.सं. 7761 के क्र.सं. 3 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 3 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 8- श्रवण कुमार पुत्र रामकरण म.सं. 7761 के क्र.सं. 2 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 6 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 9- रामस्वरूप पुत्र भागीरथ म.सं. 7073 के क्र.सं. 2 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 1 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 10- पृथ्वीराज पुत्र तुलछाराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 3 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 2 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 11- रेंवतराम पुत्र मुकनाराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 4 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 4 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 12- गणपतराम पुत्र हीराराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 5 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 3 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 13- लिद्धमादेवी पत्नी रेंवतराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 6 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 5 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 14- अशोक पुत्र श्रीराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 7 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 6 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर

व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 15- ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 8 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 9 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 16- राजरानी पत्नी सोहनलाल म.सं. 7331 के क्र.सं. 4 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 7 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 17- ज्यानी पत्नी पूनमचंद म.सं. 7331 के क्र.सं. 5 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 6 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 18- सीमा पत्नी बुधाराम म.सं. 7331 के क्र.सं. 9 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 9 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 19- बुधाराम पुत्र चौथाराम म.सं. 7331 के क्र.सं. 10 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 8 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 20- सोहनलाल पुत्र बुधाराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 2 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 4 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 21- सहीराम पुत्र भूराराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 3 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 4 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 22- भीखाराम पुत्र डालूराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 4 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 1 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 23- रामप्रताप पुत्र कालूराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 1 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 3 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 24- तनसुखी पत्नी ओमप्रकाश म.सं. 7332 के क्र.सं. 6 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 4 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 25- कमला पत्नी रामप्रताप म.सं. 7332 के क्र.सं. 9 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 5 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 26- शांति पत्नी कालूराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 10 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 6 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7232 के क्र.सं. 4 पर ईट खरंजा निर्माण रामचंद्र सोमाणी के घर से अमरचंद बोथरा की ओर श्रीडूंगरगढ़ 16.02.13 से 28.02.13 तक 27- जेठी पत्नी रामसूप म.सं. 7158 के क्र.सं. 10 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर पंचायत भवन के सामने रेलिंग लगाना सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7467 के क्र.सं. 6 पर रा. आ. औ. व उप स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक 28- प्रियंका पत्नी श्यामसुन्दर म.सं. 7153 के क्र.सं. 2 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बृजलाल के घर से बुधाराम के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7156 के क्र.सं. 7 पर अधूरी चार दीवारी श्री जम्भेश्वर गौशाला सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक 29- हडमान पुत्र सीताराम म.सं. 7160 के क्र.सं. 1 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7468 के क्र.सं. 5 पर रा. आ. औ. व उप स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक 30- सुमन पत्नी भींवराज म.सं. 7152 के क्र.सं. 6 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बाधनू रोड़ से मुन्नीलाल के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7468 के क्र.सं. 6 पर रा. आ. औ. व उप स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक 31- भींवराज पुत्र बृजलाल म.सं. 7152 के क्र.सं. 7 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बाधनू रोड़ से मुन्नीलाल के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7465 के क्र.सं. 3 पर सामुदायिक भवन निर्माण दम्माणी मोहल्ला कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक 32- विमा पत्नी घनश्याम म.सं. 7152 के क्र.सं. 4 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बाधनू रोड़ से मुन्नीलाल के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7465 के क्र.सं. 6 पर सामुदायिक भवन निर्माण दम्माणी मोहल्ला कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक 33- संजय पुत्र बीरबलराम म.सं. 7156 के क्र.सं. 8 पर अधूरी चार दीवारी श्री जम्भेश्वर गौशाला सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7465 के क्र.सं. 4 पर सामुदायिक भवन निर्माण दम्माणी मोहल्ला कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक 34- रामस्वरूप पुत्र भागीरथ म.सं. 7152 के क्र.सं. 1 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बाधनू रोड़ से मुन्नीलाल के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7465 के क्र.सं. 5 पर सामुदायिक भवन

निर्माण दम्माणी मोहल्ला कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक 35- रेंवतराम पुत्र मुकनाराम म.सं. 7330 के क्र.सं. 1 पर रा.मा.वि. सांवतसर खेल मैदान की चारदीवारी निर्माण 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7332 के क्र.सं. 5 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक 36- लिच्छमा पत्नी रेंवतराम म.सं. 7330 के क्र.सं. 4 पर रा.मा.वि. सांवतसर खेल मैदान की चारदीवारी निर्माण 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7332 के क्र.सं. 8 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7328 के क्र.सं. 10 पर पेंशनर्स विश्राम गृह आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक 37- हेतराम पुत्र उदाराम म.सं. 7328 के क्र.सं. 8 पर पेंशनर्स विश्राम गृह आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 1 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 38- विमा पत्नी घनश्याम म.सं. 7328 के क्र.सं. 9 पर पेंशनर्स विश्राम गृह आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 8 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 39- रामस्वरूप पुत्र हेतराम म.सं. 7330 के क्र.सं. 2 पर रा.मा. वि. सांवतसर खेल मैदान की चारदीवारी निर्माण 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7331 के क्र.सं. 7 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक 40- फूसाराम पुत्र खुमाणराम म.सं. 7330 के क्र.सं. 8 पर रा.मा.वि. सांवतसर खेल मैदान की चारदीवारी निर्माण 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7332 के क्र.सं. 6 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक 41- मनोज कुमार पुत्र रामकरण म.सं. 6253 के क्र.सं. 1 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6259 के क्र.सं. 4 पर सार्वजनिक श्मसान भूमि भैरूनाथ बगीची के पास चार दीवारी निर्माण कार्य व सार्वजनिक विश्राम गृह कालू बास श्रीडूंगरगढ़ 01.09.12 से 15.09.12 तक 42- श्रवण कुमार पुत्र रामकरण म.सं. 6253 के क्र.सं. 2 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6259 के क्र.सं. 5 पर सार्वजनिक श्मसान भूमि भैरूनाथ बगीची के पास चार दीवारी निर्माण कार्य व सार्वजनिक विश्राम गृह कालू बास श्रीडूंगरगढ़ 01.09.12 से 15.09.12 तक 43- रामप्रताप पुत्र कालूराम म.सं. 6258 के क्र.सं. 5 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 2 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6349 के क्र.सं. 1 पर खरंजा सड़क निर्माण रामचंद्र सोमानी के मकान से अमरचंद के मकान तक कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 01.09.12 से 15.09.12 तक 44- शांति पत्नी कालूराम म.सं. 6258 के क्र.सं. 6 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 4 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 45- तनसुखी पत्नी ओमप्रकाश म.सं. 6258 के क्र.सं. 7 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 5 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 46- नरसीराम पुत्र बुधराम म.सं. 6258 के क्र.सं. 8 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 7 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 47- सोहनलाल पुत्र बुधराम म.सं. 6258 के क्र.सं. 9 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 1 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 48- राजरानी पत्नी सोहनलाल म.सं. 6258 के क्र.सं. 10 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 6 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 49- फूसाराम पुत्र श्रीराम मेघवाल म.सं. 6256 के क्र.सं. 6 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6349 के क्र.सं. 7 पर खरंजा सड़क निर्माण रामचंद्र सोमानी के मकान से अमरचंद के मकान तक कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 01.09.12 से 15.09.12 तक 50- तनसुखी पत्नी ओमप्रकाश मेघ म.सं. 4674 के क्र.सं. 6 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4602 के क्र.सं. 2 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11 से 15.02.11 तक 51- हेतराम पुत्र उदाराम बिश्रोई म.सं. 4674 के क्र.सं. 9 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4602 के क्र.सं. 10 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11 से 15.02.11 तक 52- शांति पत्नी कालूराम मेघ. म.सं. 4674 के क्र.सं. 7 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4601 के क्र.सं. 7 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11 से 15.02.11 तक 53- गोपीराम पुत्र हुकमाराम मेघ. म.सं. 4674 के क्र.सं. 8 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4601 के क्र.सं. 6 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11 से 15.02.11 तक 54- बुधराम पुत्र चौथाराम म.सं. 4674 के क्र.सं. 10 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4601 के क्र.सं. 4 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11

से 15.02.11 तक 55- धापू पत्नी मनोहर लाल म.सं. 4855 के क्र.सं. 9 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर 16.02.11 से 28.02.11 तक म.सं. 4856 के क्र.सं. 8 पर खेल मैदान निर्माण सांवतसर 16.02.11 से 28.02.11 तक 56- भीखाराम पुत्र डालूराम म.सं. 6534 के क्र.सं. 1 पर ईंट खरंजा निर्माण वार्ड नं. 24 श्रीडूंगरगढ़ 16.10.12 से 30.10.12 तक म.सं. 6536 के क्र.सं. 1 पर वर्षा निकासी हेतु खरंजा निर्माण बीएसएनएल कार्यालय से लेखराम के घर सांवतसर 16.10.12 से 30.10.12 तक 57- सहीराम पुत्र भूराराम म.सं. 6534 के क्र.सं. 2 पर ईंट खरंजा निर्माण वार्ड नं. 24 श्रीडूंगरगढ़ 16.10.12 से 30.10.12 तक म.सं. 6536 के क्र.सं. 2 पर वर्षा निकासी हेतु खरंजा निर्माण बीएसएनएल कार्यालय से लेखराम के घर सांवतसर 16.10.12 से 30.10.12 तक 58- गणपत पुत्र हीराराम म.सं. 7933 के क्र.सं. 2 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मामराज गोदारा के घर से जयसुख के घर की ओर सांवतसर 01.07.13 से 15.07.13 तक म.सं. 7934 के क्र.सं. 7 पर ग्रेवल सड़क निर्माण लुहारों के घर से बिग्गाजी मंदिर होते हुए श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.07.13 से 15.07.13 तक उपरोक्त सभी मस्टर रोडों को ग्राम पंचायत सांवतसर के तत्कालीन सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल व ग्रामसेवक श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी द्वारा प्रमाणित करके सभी कारीगर/मजदूरों के बैंक खातों में राशि जमा करवाई गई है। आरोपीगण श्री ओमप्रकाश मेघवाल, तत्कालीन सरपंच व श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी का स्पष्टीकरण लिया गया। दौराने स्पष्टीकरण आरोपीगण ने अपने कथनों में बताया कि उस समय करीब 90 श्रमिकों को भूलवश दोहरा भुगतान हो गया था तथा जैसे ही ग्राम पंचायत के दोहरे भुगतान होना संज्ञान में आया, तुरन्त ही उक्त 90 श्रमिकों को किये हुए दोहरे भुगतान की राशि को सम्बंधित श्रमिकों से वसूल किया जाकर माह फरवरी 2014 में ही ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवा दिया था। उक्त 90 श्रमिकों का विवरण निम्न प्रकार है - (1) धापू/मनोहरलाल, मस्ट्रोल संख्या 4856, वसूल राशि - 1100 रु., (2) बुधाराम/चौथाराम, म.सं. 4674, वसूल राशि - 675 रु., (3) गोपीराम/हुकमाराम, म.सं. 4674, वसूल राशि - 1755 रु., (4) शांति/कालूराम, म.सं. 4675, वसूल राशि - 1755 रु., (5) तनसुख/ओमप्रकाश, म.सं. 4674, वसूल राशि - 3900 रु., (6) हेतराम/उदाराम, म.सं. 4674, वसूल राशि - 1755 रु., (7) रामस्वरूप/भागीरथ, म.सं. 7078, वसूल राशि - 4550 रु., (8) पृथ्वीराज/तुलछाराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 4550 रु., (9) रेंवतराम/मुकनाराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 4550 रु., (10) गणपतराम/हीराराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 4550 रु., (11) लिछमा/रेंवतराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 5850 रु., (12) अशोक/श्रीराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 1755 रु., (13) ओमप्रकाश/तुलछाराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 1755 रु., (14) रामस्वरूप/भागीरथ, म.सं. 6534, वसूल राशि - 4550 रु., (15) भागीरथ/किसनलाल, म.सं. 6534, वसूल राशि - 4550 रु., (16) फुलाराम/कानाराम, म.सं. 6534, वसूल राशि - 1755 रु., (17) भीखाराम/डालूराम, म.सं. 6536, वसूल राशि - 4550 रु., (18) सहीराम/भूराराम, म.सं. 6536, वसूल राशि - 4550 रु., (19) सोहनलाल/बुधाराम, म.सं. 6255, वसूल राशि - 1755 रु., (20) रामप्रताप/कालूराम, म.सं. 6258, वसूल राशि - 1755 रु., (21) शांति/कालूराम, म.सं. 6258, वसूल राशि - 1755 रु., (22) तनसुखी/ओमप्रकाश, म.सं. 6258, वसूल राशि - 1755 रु., (23) राजरानी/सोहनलाल, म.सं. 6253, वसूल राशि - 1755 रु., (24) नरसीराम/बुधाराम, म.सं. 6358, वसूल राशि - 1755 रु., (25) सोहनलाल/बुधाराम, म.सं. 6349, वसूल राशि - 1755 रु., (26) रामप्रताप/कालूराम, म.सं. 6349, वसूल राशि - 4550 रु., (27) फुसाराम/श्रीराम, म.सं. 6349, वसूल राशि - 1755 रु., (28) मनोज कुमार/रामकरण, म.सं. 6259, वसूल राशि - 4550 रु., (29) श्रवण कुमार/रामकरण, म.सं. 6259, वसूल राशि - 4550 रु., (30) गणपत/हीराराम, म.सं. 7934, वसूल राशि - 1911 रु., (31) कालूराम/दुरजाराम, म.सं. 6547, वसूल राशि - 5400 रु., (32) रेंवतराम/मुकनाराम, म.सं. 8547, वसूल राशि - 5400 रु., (33) रामप्रताप/कालूराम, म.सं. 8547, वसूल राशि - 5400 रु., (34) गोपाल/हरीराम, म.सं. 7831, वसूल राशि - 5850 रु., (35) द्रोपती/दिलीप कुमार, म.सं. 7831, वसूल राशि - 1617 रु., (36) श्रवण/रामकरण, म.सं. 7762, वसूल राशि - 1755 रु., (37) मनोज कुमार/रामकरण, म.सं. 7762, वसूल राशि - 5200 रु., (38) घनश्याम/जगनाथ, म.सं. 7762, वसूल राशि - 5200 रु., (39) राजकुमार/पुनमचंद, म.सं. 7762, वसूल राशि - 1755 रु., (40) विमा/घनश्याम, म.सं. 7762, वसूल राशि - 1755 रु., (41) रिछपाल/भंवरलाल, म.सं. 7762, वसूल राशि - 5200 रु., (42) किशनलाल/दुरजाराम, म.सं. 7731, वसूल राशि - 5400 रु., (43) रामस्वरूप/भागीरथ, म.सं. 7465, वसूल राशि - 4550 रु., (44) जीतूराम/प्रभूराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (45) गोपाल/हरीराम, म.सं. 7465, वसूल राशि - 1755 रु., (46) विमा/घनश्याम, म.सं. 7465, वसूल राशि - 1755 रु., (47) सुमन/भींवरराज, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1485 रु., (48) भींवरराज/बृजलाल, म.सं. 7465, वसूल राशि - 4550 रु., (49) प्रियंका/श्यामसुन्दर, म.सं. 7156, वसूल राशि - 1755 रु., (50) सोना/पूर्णाराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (51) दिलीप/रामकरण, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (52) फूलाराम/कानाराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (53) जगदीश/रामेश्वर, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (54) जगदीश/लुणाराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (55) संजय/बीरबल, म.सं. 7465, वसूल राशि - 4550 रु., (56) जेठी/रामस्वरूप, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (57) हडमान/सीताराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1755 रु., (58) शांति/गोपीराम, म.सं. 7465, वसूल राशि - 1755 रु., (59) श्रवण कुमार/रामकरण, म.सं. 7467, वसूल राशि - 4550 रु., (60) मनोज/रामस्वरूप, म.सं. 7467,

वसूल राशि - 4550 रु., (61) गणपत/हीराराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (62) ओमप्रकाश/तुलछाराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 4550 रु., (63) डाईराम/मालूराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1755 रु., (64) रामकरण/दुरजाराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1755 रु., (65) हेतराम/उदाराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1755 रु., (66) रेंवतराम/मुकनाराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (67) रामस्वरूप/हेतराम, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (68) लिछमा/रेंवतराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु., (69) लिछमा/रेंवतराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (70) फुसाराम/खुमाणाराम, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (71) भीखाराम/डालुराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (72) सहीराम/भूराराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (73) सोहनलाल/बुधाराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (74) ग्यानी/पूनमचंद, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (75) राजरानी/सोहनलाल, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (76) बुधाराम/चौथाराम, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (77) सीमा/बुधाराम, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (78) हेमाराम/खेताराम, म.सं. 7350, वसूल राशि - 1755 रु., (79) रामप्रताप/कालूराम, म.सं. 7350, वसूल राशि - 4550 रु., (80) तनसुखी/ओमप्रकाश, म.सं. 7350, वसूल राशि - 4550 रु., (81) कमला/रामप्रताप, म.सं. 7350, वसूल राशि - 2800 रु., (82) शांति/कालूराम, म.सं. 7350, वसूल राशि - 1755 रु., (83) हेतराम/उदाराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु., (84) विमा/घनश्याम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु., (85) राजाराम/गंगाविशन, म.सं. 7328, वसूल राशि - 4550 रु. (86) रामकिशन/शंकरलाल, म.सं. 7328, वसूल राशि - 4550 रु., (87) लालूराम/मालूराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 4550 रु., (88) भंवरलाल/किशनलाल, म.सं. 7328, वसूल राशि - 4550 रु., (89) हडमान/सीताराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु., (90) राजेन्द्र/धुडाराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु.। उक्त 90 श्रमिकों से कुल 2,70,518 रुपये वसूल कर राजकोष में जमा करवाये गये थे। आरोपीगण के उक्त कथन की सत्यता की जांच के लिए वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सांवतसर श्री मूलाराम से ग्राम पंचायत का रिकार्ड प्राप्त किया जाकर बयान लेखबद्ध किये गये, जिसमें आरोपीगण के बताये गये कथनों की पुष्टि होती है। ग्राम विकास अधिकारी से उक्त 90 श्रमिकों के नामों की सूची मय वसूल की गई राशि के विवरण सहित तथा उक्त राशि के ग्राम पंचायत के खाते में जमा किये जाने के साक्ष्य के रूप में ग्राम पंचायत की रोकड़ पंजिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। सम्पूर्ण जांच के दौरान प्राप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से पाया गया है कि ग्राम पंचायत सांवतसर के पूर्व सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल ने अपने कार्यकाल (साल 2010 से 2015) में करवाये गये विकास कार्यों में करीब 90 श्रमिकों को दोहरा भुगतान उनके बैंक खातों में जमा करवा दिया, अर्थात् एक ही श्रमिक का नाम एक ही समय में चल रहे अलग-अलग कार्यों के मस्टर रोल में कारीगर/श्रमिक के रूप में अंकित कर दिया तथा उन दोनों कार्यों का भुगतान सम्बंधित के बैंक खातों में जमा करवा दिया गया। जब ग्राम पंचायत को उक्त दोहरे भुगतान के तथ्य संज्ञान में आये तो ग्राम पंचायत द्वारा सम्बंधित श्रमिकों से उक्त दोहरे भुगतान की राशि को वसूल करके पंचायत कोष में जमा करवा दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त 90 कारीगर/मजदूर से दोहरे भुगतान की हुई कुल राशि 2,70,518 रुपये को राजकोष में जमा करवा दिया गया। जिन कार्यों का भुगतान किया गया है, मौके पर वो सभी कार्य हो रखे हैं। जिन कार्यों की मजदूरी की राशि वसूल करके जमा करवाई गई, उन कार्यों की मजदूरी की राशि तत्कालीन सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल द्वारा वहन की गई। इस प्रकार उक्त कार्यों में राजकोष को किसी प्रकार से हानि नहीं हुई है। प्राथमिक जांच के परिवादी श्री जगदीश द्वारा उक्त इस्तगासा माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में दिनांक 12.06.2015 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि दोहरे भुगतान की राशि सम्बंधित से वसूल की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा माह फरवरी 2014 में ही जमा करवा दी गई थी, अर्थात् शिकायत होने से करीब 15-16 माह पूर्व ही दोहरे भुगतान की राशि को राजकोष में जमा करवा दिया गया था। उक्त दोहरे भुगतान की शिकायत न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत होने से पूर्व विभाग स्तर पर किसी प्रकार की शिकायत होने के सम्बंध में पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ से जानकारी प्राप्त की गई, तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 05.12.2014 को श्री रामचन्द्र, पंचायत समिति सदस्य व समस्त ग्रामवासी के नाम से एक शिकायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर को प्रस्तुत की गई थी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत जांच हेतु विकास अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ को प्रेषित की गई। इसी प्रकार परिवादी जगदीश पुत्र रामधन बिज्जोई निवासी सांवतसर द्वारा सरपंच ओमप्रकाश के खिलाफ दोहरे भुगतान के सम्बंध में एक लिखित शिकायत दिनांक 28.04.2015 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ को की गई थी। उक्त दोनों शिकायतों पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। उक्त दोनों शिकायतें भी दोहरे भुगतान की राशि सम्बंधितों से वसूल की जाकर ग्राम पंचायत खाते में जमा करवाने के करीब 10 माह व 14 माह बाद की गई है, अर्थात् शिकायत होने से काफी पहले ही सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा दोहरे भुगतान की राशि को राजकोष में जमा करवा दिया गया था। सम्पूर्ण जांच से केवल एक तथ्य अनुत्तरित है कि जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय में दो स्थानों पर कार्य किये जाने के तथ्य रिकार्ड पर आये हैं तथा मौके पर दोनों कार्य भौतिक रूप से हो रखे हैं, तब दूसरे स्थान पर श्रमिक/कारीगर के रूप में कार्य किसने किया उक्त प्रश्न तत्कालीन सरपंच ओमप्रकाश व तत्कालीन ग्रामसेवक पृथ्वीराज तिवाड़ी से पूछा गया तो उनके द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया गया तथा अपने कथनों में कहा कि भूलवश एक ही श्रमिक का नाम समान समय के दो

अलग-अलग स्थानों पर हो रहे कार्यों के मस्ट्रोलों में लिखा गया तथा एक ही व्यक्ति को मस्ट्रोलों के आधार पर दोनों कार्यों का भुगतान हो गया था। जब दोहरे भुगतान होने की जानकारी प्राप्त हुई तो दोहरे भुगतान की राशि सम्बंधित से वसूल की जाकर ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवा दी गई। इससे राजकोष को हानि नहीं होकर एक कार्य के मजदूरी की राशि सरकार की नहीं लगने के कारण राजकोष को फायदा हुआ है। सम्पूर्ण जांच के दौरान प्राप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पाया गया है कि उक्त कार्यकाल में आरोपी सरपंच द्वारा एक ही समय में दो अलग-अलग स्थानों पर करवाये गये कार्यों के मस्टर रोलों में समान व्यक्तियों/श्रमिकों के ही नाम अंकित किये गये एवं दोनों मस्टर रोलों की राशि श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करवाई गई। दोहरे भुगतान की जानकारी होने पर आरोपीगण सरपंच द्वारा उक्त दोनों मस्टर रोल में से एक मस्टर रोल की राशि राजकोष में जमा करवा दी गई। परन्तु उपरोक्तानुसार वसूली होने के बाद दो स्थानों पर हुए कार्यों में से एक स्थान के कार्य की मजदूरी का ही राजकोष से भुगतान हुआ है, दूसरे स्थान के कार्यों की मजदूरी का भुगतान राजकोष से आहरित नहीं हुआ है। यहां यह प्रश्न बनता है कि जब मौके पर कार्य हुआ है तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया तथा इसका भुगतान किस माध्यम से हुआ। इसका जांच से कोई प्रमाण नहीं पाया गया है तथा ना ही ग्राम पंचायत के पास इस सम्बंध में कोई रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य के सम्बंध में जांच से कोई प्रमाण नहीं पाया गया है तथा ना ही इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आगे कोई साक्ष्य पाया जाना संभव प्रतीत होता है। तत्पश्चात् जांच के दौरान तत्कालीन जांच अधिकारी द्वारा जरिये पत्राचार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ के कार्यालय पत्र क्रमांक:-पंसडू/स्थापना/2020/7180 दिनांक-9/12/2020 के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार पक्के निर्माण कार्य हेतु जारी मस्ट्रोलों में मजदूरों के नाम संबंधित कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता है। उक्त मस्ट्रोलों में कारीगर/श्रमिक का नाम एक ही समय में दो जगह अंकित होना स्वतः ही अनियमितता की श्रेणी में आता है। तत्पश्चात् जांच के दौरान तत्कालीन अग्रिम जांच अधिकारी श्री आनंद कुमार, पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये पत्राचार कार्यालय ग्राम पंचायत सांवतसर, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक:-एसपीएल-01 दिनांक-24.11.2021 के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान श्रमिकों को किये गये दोहरे भुगतान की वसूल राशि 2,70,518/- रुपये ग्राम पंचायत की निजी आय मद में जमा की गई। ग्राम पंचायत में करवाये जा रहे कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत ही होती है, जिसमें सरपंच व ग्राम सेवक का ही उत्तरदायित्व होता है। तत्पश्चात् प्राथमिक जांच हाजा में उपरोक्तानुसार विस्तृत जांच संपन्न होने के उपरांत कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक:-एसीबी/बीका/2022/4669 दिनांक:-01.11.2022 द्वारा जांच रिपोर्ट मय पत्रावली माननीय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर के समक्ष पेश अदालत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 12.10.2023 द्वारा जांच पत्रावली प्रकरण में उपयुक्त एवं अग्रिम अनुसंधान के लिए एसीबी को पुनः लौटाई गई। निवेदन है कि प्राथमिक जांच हाजा में उपरोक्तानुसार संपादित संपूर्ण जांच के आधार पर यह निष्कर्ष पाया गया है कि ग्राम पंचायत सांवतसर के पूर्व सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल के कार्यकाल (साल 2010 से 2015) में करवाये गये विकास कार्यों में करीब 90 श्रमिकों को दोहरा भुगतान उनके बैंक खातों में जमा करवा दिया गया अर्थात् एक ही श्रमिक का नाम एक ही समय में चल रहे अलग-अलग कार्यों के मस्टर रोल में कारीगर/श्रमिक के रूप में अंकित कर दिया तथा उन दोनों कार्यों का भुगतान सम्बंधित के बैंक खातों में जमा करवा दिया गया। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा उक्त 90 कारीगर/मजदूर से दोहरे भुगतान की हुई कुल राशि 2,70,518/- रुपये को ग्राम पंचायत की निजी आय मद में जमा करवा दिया गया। जिन कार्यों का भुगतान किया गया है, मौके पर वो सभी कार्य हो रहे हैं। जांच से स्पष्ट हुआ है कि जिन कार्यों की मजदूरी की राशि वसूल करके जमा करवाई गई, उन कार्यों की मजदूरी की राशि तत्कालीन सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल द्वारा ही वहन की गई। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय में दो स्थानों पर कार्य किये जाने के तथ्य रिकार्ड पर आये हैं तथा मौके पर दोनों कार्य भौतिक रूप से हो रहे हैं, तब दूसरे स्थान पर श्रमिक/कारीगर के रूप में कार्य किसने किया जब मौके पर कार्य हुआ है तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया तथा इसका भुगतान किस माध्यम से हुआ इसका जांच से कोई प्रमाण नहीं पाया गया है तथा ना ही ग्राम पंचायत के पास इस सम्बंध में कोई रिकार्ड पाया गया है। इस प्रकार मस्टररोलों में कारीगर/श्रमिकों के नाम एक ही समय में 2 जगह अंकित कर उन्हें भुगतान कर राजकोष को नुकसान पहुंचाना भारी अनियमितता है। ग्राम पंचायत में दो जगह पर चल रहे मस्टररोलों पर एक ही समय में समान मजदूर का कार्य करना संभव ही नहीं है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार एक बार अपराध घटित हो जाने के उपरांत आरोपीगण द्वारा उक्त दुर्विनियोजित राशि को आहरित मद से भिन्न ग्राम पंचायत की निजी आय मद में वापस जमा करवा देने मात्र से आरोपीगण की आपराधिक मंशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तथा अपराध तो घटित हुआ ही है। इस प्रकार आरोपीगण श्री ओमप्रकाश मेघवाल, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर व श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर (हाल सेवानिवृत्त) द्वारा आपसी मिलीभगत करते हुए कुल 90 श्रमिकों को कुल राशि 2,70,518/- रुपये का दोहरा भुगतान किया गया। तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार द्वारा किये गये उक्त दोहरे भुगतान की राशि जिस मद में आबंटित हुई थी, उस मद में जमा नहीं करवाकर बेईमानीपूर्वक आशय से स्वयं को दण्ड से बचाने के लिए आहरित मद से भिन्न ग्राम पंचायत

सांवतसर की निजी आय मद में राशि जमा करवाई जाना पाई गई। आरोपीगण द्वारा उपरोक्तानुसार भ्रष्ट व अवैध साधनों से आपराधिक षड्यंत्र कर, लोकसेवक की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए बेईमानी व कपटपूर्वक आशय से कुल 90 श्रमिकों के अपात्र होते हुए भी नियंत्रणाधीन राजकीय राशि कुल 2,70,518/- रुपये का दुर्विनियोग कर दोहरा भुगतान करने व बाद में स्वयं को दण्ड से बचाने के लिए उक्त राशि आरोपीगण द्वारा राजकोष में जमा करवाये जाने के संबंध में कारित कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व 120 बी भादंसं तथा धारा 409, 477 (क) सपठित धारा 120 बी भादंसं में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। अतः उपरोक्त आधार पर आरोपीगण 1. श्री ओमप्रकाश मेघवाल पुत्र श्री कालूराम, उम्र 46 साल, निवासी गांव सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर व 2. श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी पुत्र श्री लेखराम, उम्र 70 साल, निवासी वार्ड नं. 30, गांधी चौक, नापासर, जिला बीकानेर, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर (हाल सेवानिवृत्त) व अन्य के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व 120 बी भादंसं तथा धारा 409, 477 (क) सपठित धारा 120 बी भादंसं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है। श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेरमहोदय, निवेदन है कि माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर से इस्तगासा संख्या 02/2015, जगदीश बनाम ओमप्रकाश वगैरह तहरीरी माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30/07/2015 जगदीश बनाम ओमप्रकाश मेघवाल, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत सांवतसर, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ एवं अन्य अंतर्गत धारा 156 (3) सीआरपीसी इस आशय का प्राप्त हुआ कि:- 1. यह कि अप्रार्थी सं. 01 तत्कालीन जन प्रतिनिधि होने के कारण लोकसेवक रहा व अप्रार्थी सं. 2 प्राईवेट व्यक्ति है, जिसने विभिन्न अपराधों में अप्रार्थीगण सं. 1 का सहयोग किया है। चूंकि तत्कालीन सरपंच एवं मेट व्यक्ति प्राईवेट व्यक्ति होने के कारण दोनों ही अप्रार्थीगणों के विरुद्ध जांच या प्रसंज्ञान हेतु अभियोजन स्वीकृति वांछित नहीं है। 2. यह कि अप्रार्थीगणों ने आपसी मिलीभगत कर अपनी पदीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए सरकारी नीतियों को ताक में रखते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्रतिकूल कार्य करते हुए कूटरचित मस्ट्रोल भरकर विभिन्न योजनाओं में करोड़ों रुपयों का स्वीय प्राप्त करते हुए सरकारी कोष को हानि पहुंचाई है। 3. यह कि मस्ट्रोल सं. 3939 की क्रम सं. 7 पर दिनांक 16.03.2010 से 31.03.2010 तक भंवरलाल पुत्र श्री बुधराम बिश्रोई, क्रम सं. 5 पर इसी अवधि में श्रवणराम पुत्र भंवरलाल, क्र.सं. 10 पर इसी अवधि में सुशील पुत्र भंवरलाल का नाम फर्जी रूप से एस.एफ.सी. योजना के अंतर्गत काम करना बताकर इन तीनों व्यक्तियों के नाम से फर्जी भुगतान उठाकर राजकोष को हानि कारित की है, जबकि उपरोक्त तीनों ही व्यक्तियों ने उक्त कार्य नहीं किया व न ही भुगतान उठाया है। इस तथ्य की ताहिद हेतु भंवरलाल का शपथ पत्र फ्लेग "सी" पर अवलोकनार्थ प्रेषित है। 4. यह कि मस्ट्रोल क्रमांक 3942 योजना एस.एफ.सी. के अन्तर्गत क्र.सं. 3 पर गोविन्द राम पुत्र बलूराम बिश्रोई, क्र.सं. 6 पर बीरबल राम पुत्र श्री बलूराम, बजरंग लाल पुत्र बीरबल राम का नाम क्र.सं. 9 पर उक्त योजना में दिनांक 16.3.2010 से 31.3.2010 तक ग्राम सांवतसर में भंवरलाल की ढाणी से चिकाणा जोहड़ रा.प्रा.वि. के जलकुण्ड तक पी.वी.सी. पाईप लाईन कार्य किये बिना ही इनके भुगतान फर्जी एवं कूटरचित मस्ट्रोल इत्यादि तैयार कर इन तीनों के नाम से फर्जी भुगतान उठाकर राजकोष को हानि कारित की है, जबकि उक्त तीनों मजदूरों ने इस प्रकार का कोई कार्य कभी नहीं किया। इस तथ्य की पुष्टि हेतु गोविन्दराम का शपथ पत्र फ्लेग "डी" पर बीरबल राम का शपथ पत्र फ्लेग "ई" पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। 5. यह कि मस्ट्रोल सं. 42 में क्र.सं. 7 पर हनुमान पुत्र चन्दूलाल, क्र.सं. 8 पर मांगीलाल पुत्र बुधराम का नाम, मस्ट्रोल नं. 3941 की क्र.सं. 6 पर मनोहर लाल पुत्र जीतूराम का नाम, क्र.सं. 3 पर जगदीश पुत्र बीरबलराम का नाम, मस्ट्रोल नं. 3936 में क्र.सं. 7 पर चौथाराम पुत्र हमीराराम का नाम फर्जी रूप से अप्रार्थीगणों ने दर्ज कर फर्जी दस्तावेजातों से भुगतान उठाया है। उक्त मस्ट्रोल 3941 में क्र.सं. 3 पर जगदीश से 16.03.2010 से 31.03.2010 तक काम कर भुगतान उठाया है, उस अवधि में जगदीश केंद्रीय मा. शिक्षा बोर्ड दिल्ली की परीक्षा बीकानेर दे रहा था, जबकि इसके द्वारा इसी दिनांक को पी.वी.सी. लाईन डालना बताकर भुगतान उठाया गया है। इससे पूर्णतया फर्जी भुगतान की पुष्टि होती है। उक्त तथ्यों की ताईद हेतु जगदीश का शपथ पत्र फ्लेग "जी" पर मय मार्कशीट की प्रति व अन्य हनुमान, मांगीलाल, मनोहरलाल के शपथ पत्र फ्लेग "एच" पर अवलोकनार्थ प्रेषित है। 6. यह कि मस्ट्रोल नं. 3939, 3942, 3936, 3941 के उपरोक्त विवरण के मस्ट्रोलों में अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान उठाये गये कूटरचित मस्ट्रोल अप्रार्थीगणों द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में तैयार किये गये हैं, जिनकी फोटो प्रतियां फ्लेग "आई" से "जे" पर अवलोकनार्थ है। 7. यह कि उपरोक्त मस्ट्रोल के अलावा विवरण अंकित मस्ट्रोल के मजदूर एवं कारीगर एक ही अवधि में विभिन्न जगहों पर कार्य करते हुए दर्शाकर अप्रार्थीगणों ने कूटरचित मस्ट्रोल तैयार कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति को अपने पद का दुरुपयोग को रोका पर सरकारी राशि को फर्जी रूप से उठाकर राजकोष का अनुमानित विवरण मस्ट्रोलों में करीब 3 लाख की हानि कारित की है। 8. यह कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.06.2013 से 15.06.2013 तक की अवधि में मस्ट्रोल सं. 7759, 7831, 7760, 7761, 7762, 7760 भरे हुए, जिसमें मस्ट्रोल नं. 7759 की क्र.सं. 1, मस्ट्रोल नं. 7831 में क्र.सं. 5 पर किशनलाल पुत्र दुर्गाराम कारीगर व मेट के रूप से एक ही व्यक्ति सार्वजनिक हाल निर्माण व दूसरी तरफ ग्रेवल सड़क बनाना, मस्ट्रोल नं. 7760 पर क्र.सं. 10

पर, मस्ट्रोल नं. 7831 पर क्र.सं. 10 पर द्रोपती पत्नि दलीप कुमार की दो जगह एक ही अवधि में कार्य करना बताया है। मस्ट्रोल नं. 7761 पर क्र.सं. 5 व मस्ट्रोल सं. 7762 पर क्र.सं. 5 पर घनश्याम पुत्र जगनाथ को दो जगह कारीगर, इसी दोनों मस्ट्रोलों में उसकी पत्नि विभा का नाम क्र.सं. 6 पर क्र.सं. 8 पर दो जगह नाम करना बताया है, इन्ही मस्ट्रोलों में राजकुमार पुत्र पूनमचंद को दो जगह कारीगर, रिद्धपाल पुत्र भंवरलाल को दो जगह मनोज कुमार को उपरोक्त दोनों के कारीगर बताकर दोहरा भुगतान अपने पद का दुरुपयोग कर फर्जी रूप से उठाया गया है। तथ्यों की ताईद हेतु मस्ट्रोलों के अवलोकन से सुस्पष्ट है। उक्त मस्ट्रोल फ्लेग "के" पर अवलोकनार्थ है। 9. यह कि मस्ट्रोल सं. 7078 व 7073 में दिनांक 01.02.2013 से 15.02.2013 को दो अलग-अलग कार्यों के 10 में से 8 व्यक्तियों के द्वारा समान कार्य करना बताकर अप्रार्थीगणों ने अपनी पदीय कत्तव्य विमुखता से उक्त कूटरचित मस्ट्रोलों से राज नीतियों की क्रियान्विति रोकनी व राजकोष को हानि कारित की है। उक्त तथ्यों की ताईद उक्त मस्ट्रोलों के अवलोकन से सुस्पष्ट है, जो फ्लेग "एल" पर अवलोकनार्थ है। 10. यह कि एक ही अवधि में दो जगह बिना कार्य किये हुए ही भुगतान की स्थिति मस्ट्रोल सं. 7349, 7331, 7332, 7350 में दिनांक 01.03.2013 से 15.03.2013 तक की अवधि में, मस्ट्रोल नं. 7232 व 7230 दिनांक 16.02.2013 से 28.02.2013 तक की अवधि में, मस्ट्रोल नं. 7158, 7467, 7156, 7154, 7160, 7468 व 7152 जो दिनांक 16.03.2012 से 31.03.2013 तक में, मस्ट्रोल नं. 7332, 7330, 7328, 73750, 7331 दिनांक 30.01.2013 से 15.03.2013 तक में, मस्ट्रोल सं. 6253, 6255, 6259, 6359, 6349 दिनांक 01.09.2012 से 15.09.2012 तक में, मस्ट्रोल सं. 4855 व 4856 दिनांक 16.02.2011 से 28.02.2011 तक में, मस्ट्रोल सं. 8547, 7837 दिनांक 01.10.2013 से 15.10.2013 तक में, मस्ट्रोल नं. 6536 व 6534 दिनांक 16.10.2012 से 31.10.2013 तक में, मस्ट्रोल सं. 7934 व 33 दिनांक 01.07.2013 से 15.07.2013 तक में एक ही अवधि में एक एक कारीगर/मजदूर दो व तीन जगहों पर फर्जी काम करना बताकर अपनी पदीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए राजकोष को हानि कारित की है। अप्रार्थीगणों के उक्त मस्ट्रोल पद का दुरुपयोग कर फर्जी एवं कूटरचित भरे जाने की ताईद उपरोक्त मस्ट्रोलों के अवलोकन से सुस्पष्ट है। उक्त मस्ट्रोलों की फोटो प्रतियां फ्लेग "एम" से "एन" तक अवलोकनार्थ प्रेषित है। 11. यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त आशय के अपराध की जानकारी एसीबी चौकी बीकानेर को दी तो उन्होंने बिना कोर्ट के आदेश के जांच करने से मना कर दिया। 12. यह कि उक्त मामला बीकानेर एसीबी चौकी का होने के कारण श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग करते हुए मस्ट्रोल सं. 3939, 3942, 4241, 3941, 3936, 7759, 7831, 7760, 7761, 7762, 7078, 7073, 7349, 7331, 7332, 7350, 7158, 7467, 7156, 7154, 7160, 7468, 7153, 7328, 3032, 6253, 55, 59, 6349, 4601, 4602, 4674, 4855, 4856, 8547, 7837, 6533, 36, 7934, 7933 कुल 43 मस्ट्रोलों में बिना कोई काम करवाये अपने 2010 से 2014 के कार्यकाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति करने की आड़ में कूटरचित मस्ट्रोलस संबंधित मेट्स अप्रार्थी सं. 2 के साथ मिलीभगत कर राजकोष से अनुमानित इन मस्ट्रोलस में करीब 20 लाख रुपये की हानि कारित की है, संलग्न मस्ट्रोल एवं शपथ पत्र के अवलोकन से उपरोक्त अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है। अप्रार्थीगणों का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (सी) (डी) (2) एवं सपठित धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी की श्रेणी में आता है। तत्पश्चात् उपरोक्त के संबंध में माननीय न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, बीकानेर के आदेश दिनांक 30.7.2015 की पालना में ब्यूरो मुख्यालय पर प्राथमिक जांच सं. 49/15, दिनांक 14.8.15 दर्ज की जाकर प्राथमिक जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान तत्कालीन जांच अधिकारियों द्वारा परिवादी श्री जगदीश राम, श्री भंवरलाल, श्री श्रवण राम, श्री सुशील कुमार, बीरबल राम, श्री बजरंग लाल, श्री जगदीश, श्री मनोहर लाल, श्री हनुमान सिंह व श्री मूलाराम महिया, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सांवतसर के बयान लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण श्री ओमप्रकाश व श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी के स्पष्टीकरण बयान लेखबद्ध किये गये। इस्तगासा में अंकित सभी मस्ट्रोल की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई व इस्तगासा के बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 में अंकित कारीगर/मजदूरों के बैंक खातों के स्टेटमेंट की प्रतियां सम्बंधित बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सांवतसर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् संपूर्ण जांच संपन्न होने पर तत्कालीन जांच अधिकारी श्री मनोज कुमार, पुलिस निरीक्षक द्वारा निम्नांकितानुसार निष्कर्ष पाया गया:- परिवादी श्री जगदीश राम द्वारा अपने इस्तगासा के बिन्दु सं. 3, 4 व 5 में अंकित किया गया है कि भंवरलाल पुत्र बुधराम बिश्रोई, श्रवणराम पुत्र भंवरलाल बिश्रोई, सुशील पुत्र भंवरलाल बिश्रोई, गोविन्द राम पुत्र बालूराम बिश्रोई, बीरबलराम पुत्र बल्लूराम बिश्रोई, बजरंगलाल पुत्र बीरबलराम बिश्रोई, जगदीश पुत्र बीरबलराम, मांगीलाल पुत्र बुधराम बिश्रोई, मनोहरलाल पुत्र जीतुराम बिश्रोई, चौथाराम पुत्र हमीराराम बिश्रोई, व हनुमान पुत्र चन्दुलाल बिश्रोई, के द्वारा इस्तगासा में अंकित कार्य नहीं किया तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त व्यक्तियों के नाम फर्जी तरीके से मस्ट्रोल में अंकित कर इनके नाम का भुगतान फर्जी तरीके से उठाकर राजकोष को हानि कारित की है। इस आरोप के सम्बंध में सम्बंधितों सर्वश्री भंवरलाल पुत्र बुधराम बिश्रोई, श्रवणराम पुत्र भंवरलाल बिश्रोई, सुशील पुत्र भंवरलाल बिश्रोई, बीरबलराम पुत्र बल्लूराम बिश्रोई, बजरंगलाल पुत्र बीरबलराम बिश्रोई, जगदीश पुत्र बीरबलराम, मनोहरलाल पुत्र जीतुराम बिश्रोई, व हनुमान पुत्र चन्दुलाल बिश्रोई के बयान लेखबद्ध किये गये। श्री चौथाराम पुत्र श्री हमीराराम की मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण

पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। उक्त सभी ने अपने बयानों में परिवादी द्वारा इस्तगासे में अंकित आरोप से इन्कार करते हुए बताया कि उन सभी द्वारा मस्ट्रोलों में अंकित कार्य किया गया था तथा उक्त कार्य के बदले ग्राम पंचायत द्वारा उनके बैंक खातों में मजदूरी के रूपये जमा करवाये गये थे तथा सभी सम्बंधित द्वारा अपने-अपने बैंक खातों से उक्त राशि निकलवाई गई। सम्बंधितों को कार्य के बदले किये गये भुगतान की जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा सभी की मजदूरी उनके बैंक खातों में जमा करवाई गई है। बैंक खातों के स्टेटमेंट की प्रति प्राप्त कर अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त सभी व्यक्तियों के बैंक खातों में मस्टर रोल में अंकित राशि जमा हुई है तथा उक्त राशि का खाताधारकों द्वारा उपयोग किया गया है अर्थात् मस्टर रोल में अंकित कार्य की मजदूरी ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार इस्तगासा के बिन्दु सं. 3, 4 व 5 में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। इस्तगासा के बिन्दु सं. 7 व 8 के सम्बंध में जांच की गई तो पाया गया कि ग्राम पंचायत सांवतसर द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को एक ही समय पर दो/तीन कार्यों पर कार्य करना बताते हुए दोहरा भुगतान करना पाया गया है - क्र.सं. श्रमिक का नाम मस्टर रोल सं. कार्य का नाम कार्य अवधि 1- किशन लाल पुत्र दूर्गाराम म.सं. 7759 के क्र.सं. 1 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7831 के क्र.सं. 5 पर ग्रेवल सड़क निर्माण लूहारों के घर से बिग्गाजी मंदिर होते हुए श्मसान भूमि तक लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक 2- द्रोपती पत्नी दलीप कुमार म.सं. 7760 के क्र.सं. 10 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7831 के क्र.सं. 10 पर ग्रेवल सड़क निर्माण लूहारों के घर से बिग्गाजी मंदिर होते हुए श्मसान भूमि तक लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक 3- घनश्याम पुत्र जगनाथ म. सं. 7761 के क्र.सं. 5 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 5 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 4- विमा पत्नी घनश्याम म.सं. 7761 के क्र.सं. 6 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 8 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 5- राजकुमार पुत्र पूनमचंद म.सं. 7761 के क्र.सं. 4 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 7 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 6- रिछपाल पुत्र भंवरलाल म.सं. 7761 के क्र.सं. 7 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 4 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 7- मनोज कुमार पुत्र रामकरण म.सं. 7761 के क्र.सं. 3 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 3 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 8- श्रवण कुमार पुत्र रामकरण म.सं. 7761 के क्र.सं. 2 पर बिग्गा जी की बाडी के पास सार्वजनिक हाल निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.06.13 से 15.06.13 तक म.सं. 7762 के क्र.सं. 6 पर खेल मैदान की चार दीवारी (रूपादेवी मोहता) विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ 01.06.13 से 15.06.13 तक 9- रामस्वरूप पुत्र भागीरथ म.सं. 7073 के क्र.सं. 2 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 1 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 10- पृथ्वीराज पुत्र तुलछाराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 3 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 2 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 11- रेंवतराम पुत्र मुकनाराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 4 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 4 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 12- गणपतराम पुत्र हीराराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 5 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 3 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 13- लिछमादेवी पत्नी रेंवतराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 6 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 5 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 14- अशोक पुत्र श्रीराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 7 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 6 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 15- ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम म.सं. 7073 के क्र.सं. 8 पर श्री जम्भेश्वर गौशाला समिति चारदीवारी निर्माण कार्य सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक म.सं. 7078 के क्र.सं. 9 पर चौक निर्माण आई.टी. सेंटर व पंचायत भवन के सामने मय रेलिंग सांवतसर 01.02.13 से 15.02.13 तक 16- राजरानी पत्नी सोहनलाल म.सं. 7331 के क्र.सं. 4 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढ़ी निर्माण मय बरामदा,

शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 7 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 17- ज्यानी पत्नी पूनमचंद म.सं. 7331 के क्र.सं. 5 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 6 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 18- सीमा पत्नी बुधाराम म.सं. 7331 के क्र.सं. 9 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 9 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 19- बुधाराम पुत्र चौथाराम म.सं. 7331 के क्र.सं. 10 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 8 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 20- सोहनलाल पुत्र बुधाराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 2 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 4 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 21- सहीराम पुत्र भूराराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 3 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 4 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 22- भीखाराम पुत्र डालूराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 4 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7349 के क्र.सं. 1 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि सांवतसर 01.03.13 से 15.03.13 तक 23- रामप्रताप पुत्र कालूराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 1 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 3 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 24- तनसुखी पत्नी ओमप्रकाश म.सं. 7332 के क्र.सं. 6 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 4 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 25- कमला पत्नी रामप्रताप म.सं. 7332 के क्र.सं. 9 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 5 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 26- शांति पत्नी कालूराम म.सं. 7332 के क्र.सं. 10 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 6 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7232 के क्र.सं. 4 पर ईट खरंजा निर्माण रामचंद्र सोमानी के घर से अमरचंद बोथरा की ओर श्रीडूंगरगढ़ 16.02.13 से 28.02.13 तक 27- जेठी पत्नी रामसूप म.सं. 7158 के क्र.सं. 10 पर चौक निर्माण आई. टी. सेंटर पंचायत भवन के सामने रेलिंग लगाना सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7467 के क्र.सं. 6 पर रा. आ. औ. व उप स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक 28- प्रियंका पत्नी श्यामसुन्दर म.सं. 7153 के क्र.सं. 2 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बृजलाल के घर से बुधाराम के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7156 के क्र.सं. 7 पर अधूरी चार दीवारी श्री जम्भेश्वर गौशाला सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक 29- हडमान पुत्र सीताराम म.सं. 7160 के क्र.सं. 1 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7468 के क्र.सं. 5 पर रा. आ. औ. व उप स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक 30- सुमन पत्नी भींवराज म.सं. 7152 के क्र.सं. 6 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बाधनू रोड़ से मुन्नीलाल के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7468 के क्र.सं. 6 पर रा. आ. औ. व उप स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक 31- भींवराज पुत्र बृजलाल म.सं. 7152 के क्र.सं. 7 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बाधनू रोड़ से मुन्नीलाल के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7465 के क्र.सं. 3 पर सामुदायिक भवन निर्माण दम्माणी मोहल्ला कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक 32- विमा पत्नी घनश्याम म.सं. 7152 के क्र.सं. 4 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बाधनू रोड़ से मुन्नीलाल के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7465 के क्र.सं. 6 पर सामुदायिक भवन निर्माण दम्माणी मोहल्ला कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक 33- संजय पुत्र बीरबलराम म.सं. 7156 के क्र.सं. 8 पर अधूरी चार दीवारी श्री जम्भेश्वर गौशाला सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7465 के क्र.सं. 4 पर सामुदायिक भवन निर्माण दम्माणी मोहल्ला कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक 34- रामस्वरूप पुत्र भागीरथ म.सं. 7152 के क्र.सं. 1 पर ग्रेवल सड़क निर्माण बाधनू रोड़ से मुन्नीलाल के घर तक सांवतसर 16.03.13 से 31.03.13 तक म.सं. 7465 के क्र.सं. 5 पर सामुदायिक भवन निर्माण दम्माणी मोहल्ला कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 16.03.13 से 31.03.13 तक 35- रेंवतराम पुत्र मुकनाराम म.सं. 7330 के क्र.सं. 1 पर रा.मा.वि. सांवतसर खेल मैदान की चारदीवारी निर्माण 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7332 के क्र.सं. 5 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक 36- लिछमा पत्नी रेंवतराम म.सं. 7330 के क्र.सं. 4 पर रा.मा.वि. सांवतसर खेल मैदान की चारदीवारी

निर्माण 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7332 के क्र.सं. 8 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढ़ी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7328 के क्र.सं. 10 पर पेंशनर्स विश्राम गृह आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक 37- हेतराम पुत्र उदाराम म.सं. 7328 के क्र.सं. 8 पर पेंशनर्स विश्राम गृह आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 1 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 38- विमा पत्नी घनश्याम म.सं. 7328 के क्र.सं. 9 पर पेंशनर्स विश्राम गृह आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7350 के क्र.सं. 8 पर विश्रामगृह निर्माण श्मसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.03.13 से 15.03.13 तक 39- रामस्वरूप पुत्र हेतराम म.सं. 7330 के क्र.सं. 2 पर रा.मा. वि. सांवतसर खेल मैदान की चारदीवारी निर्माण 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7331 के क्र.सं. 7 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढ़ी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक 40- फूसाराम पुत्र खुमाणराम म.सं. 7330 के क्र.सं. 8 पर रा.मा.वि. सांवतसर खेल मैदान की चारदीवारी निर्माण 01.03.13 से 15.03.13 तक म.सं. 7332 के क्र.सं. 6 पर मुस्लिम मुसाफिरखाना के सीढ़ी निर्माण मय बरामदा, शौचालय स्नानघर निर्माण श्रीडूंगरगढ़ 01.03.13 से 15.03.13 तक 41- मनोज कुमार पुत्र रामकरण म.सं. 6253 के क्र.सं. 1 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6259 के क्र.सं. 4 पर सार्वजनिक श्मसान भूमि भैरूनाथ बगीची के पास चार दीवारी निर्माण कार्य व सार्वजनिक विश्राम गृह कालू बास श्रीडूंगरगढ़ 01.09.12 से 15.09.12 तक 42- श्रवण कुमार पुत्र रामकरण म.सं. 6253 के क्र.सं. 2 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6259 के क्र.सं. 5 पर सार्वजनिक श्मसान भूमि भैरूनाथ बगीची के पास चार दीवारी निर्माण कार्य व सार्वजनिक विश्राम गृह कालू बास श्रीडूंगरगढ़ 01.09.12 से 15.09.12 तक 43- रामप्रताप पुत्र कालूराम म.सं. 6258 के क्र.सं. 5 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 2 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6349 के क्र.सं. 1 पर खरंजा सड़क निर्माण रामचंद्र सोमानी के मकान से अमरचंद के मकान तक कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 01.09.12 से 15.09.12 तक 44- शांति पत्नी कालूराम म.सं. 6258 के क्र.सं. 6 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 4 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 45- तनसुखी पत्नी ओमप्रकाश म.सं. 6258 के क्र.सं. 7 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 5 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 46- नरसीराम पुत्र बुधराम म.सं. 6258 के क्र.सं. 8 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 7 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 47- सोहनलाल पुत्र बुधराम म.सं. 6258 के क्र.सं. 9 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर सांवतसर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 1 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 48- राजरानी पत्नी सोहनलाल म.सं. 6258 के क्र.सं. 10 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य गुवाड़ से हरलाल के घर की ओर 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6255 के क्र.सं. 6 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक 49- फूसाराम पुत्र श्रीराम मेघवाल म.सं. 6256 के क्र.सं. 6 पर जी.एल.आर. निर्माण लिखमीसर उतरादा 01.09.12 से 15.09.12 तक म.सं. 6349 के क्र.सं. 7 पर खरंजा सड़क निर्माण रामचंद्र सोमानी के मकान से अमरचंद के मकान तक कालूबास श्रीडूंगरगढ़ 01.09.12 से 15.09.12 तक 50- तनसुखी पत्नी ओमप्रकाश मेघ म.सं. 4674 के क्र.सं. 6 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4602 के क्र.सं. 2 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11 से 15.02.11 तक 51- हेतराम पुत्र उदाराम बिश्रोई म.सं. 4674 के क्र.सं. 9 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4602 के क्र.सं. 10 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11 से 15.02.11 तक 52- शांति पत्नी कालूराम मेघ. म.सं. 4674 के क्र.सं. 7 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4601 के क्र.सं. 7 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11 से 15.02.11 तक 53- गोपीराम पुत्र हुकमाराम मेघ. म.सं. 4674 के क्र.सं. 8 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4601 के क्र.सं. 6 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11 से 15.02.11 तक 54- बुधराम पुत्र चौथाराम म.सं. 4674 के क्र.सं. 10 पर राप्रावि 02 सांवतसर गेट निर्माण 01.02.11 से 15.02.11 तक म.सं. 4601 के क्र.सं. 4 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर दिख. 01.02.11 से 15.02.11 तक 55- धापू पत्नी मनोहर लाल म.सं. 4855 के क्र.सं. 9 पर मेघवाल एवं नायकों की श्मसान भूमि चारदीवारी लिखमीसर 16.02.11 से 28.02.11 तक म.सं. 4856 के क्र.सं. 8 पर खेल मैदान निर्माण सांवतसर 16.02.11 से 28.02.11 तक 56- भीखाराम पुत्र डालूराम म.सं. 6534 के क्र.सं. 1 पर ईट खरंजा निर्माण वार्ड नं. 24 श्रीडूंगरगढ़ 16.10.12 से 30.10.12 तक म.सं. 6536 के क्र.सं. 1 पर वर्षा निकासी हेतु खरंजा निर्माण बीएसएनएल

कार्यालय से लेखराम के घर सांवतसर 16.10.12 से 30.10.12 तक 57- सहीराम पुत्र भूराराम म.सं. 6534 के क्र.सं. 2 पर ईट खरंजा निर्माण वार्ड नं. 24 श्रीडूंगरगढ़ 16.10.12 से 30.10.12 तक म.सं. 6536 के क्र.सं. 2 पर वर्षा निकासी हेतु खरंजा निर्माण बीएसएनएल कार्यालय से लेखराम के घर सांवतसर 16.10.12 से 30.10.12 तक 58- गणपत पुत्र हीराराम म.सं. 7933 के क्र.सं. 2 पर ग्रेवल सड़क निर्माण मामराज गोदारा के घर से जयसुख के घर की ओर सांवतसर 01.07.13 से 15.07.13 तक म.सं. 7934 के क्र.सं. 7 पर ग्रेवल सड़क निर्माण लुहारों के घर से बिग्गाजी मंदिर होते हुए शमसान भूमि लिखमीसर उतरादा 01.07.13 से 15.07.13 तक उपरोक्त सभी मस्टर रोलों को ग्राम पंचायत सांवतसर के तत्कालीन सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल व ग्रामसेवक श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी द्वारा प्रमाणित करके सभी कारीगर/मजदूरों के बैंक खातों में राशि जमा करवाई गई है। आरोपीगण श्री ओमप्रकाश मेघवाल, तत्कालीन सरपंच व श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी का स्पष्टीकरण लिया गया। दौराने स्पष्टीकरण आरोपीगण ने अपने कथनों में बताया कि उस समय करीब 90 श्रमिकों को भूलवश दोहरा भुगतान हो गया था तथा जैसे ही ग्राम पंचायत के दोहरे भुगतान होना संज्ञान में आया, तुरन्त ही उक्त 90 श्रमिकों को किये हुए दोहरे भुगतान की राशि को सम्बंधित श्रमिकों से वसूल किया जाकर माह फरवरी 2014 में ही ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवा दिया था। उक्त 90 श्रमिकों का विवरण निम्न प्रकार है - (1) धापू/मनोहरलाल, मस्ट्रोल संख्या 4856, वसूल राशि - 1100 रु., (2) बुधाराम/चौथाराम, म.सं. 4674, वसूल राशि - 675 रु., (3) गोपीराम/हुकमाराम, म.सं. 4674, वसूल राशि - 1755 रु., (4) शांति/कालूराम, म.सं. 4675, वसूल राशि - 1755 रु., (5) तनसुख/ओमप्रकाश, म.सं. 4674, वसूल राशि - 3900 रु., (6) हेतराम/उदाराम, म.सं. 4674, वसूल राशि - 1755 रु., (7) रामस्वरूप/भागीरथ, म.सं. 7078, वसूल राशि - 4550 रु., (8) पृथ्वीराज/तुलछाराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 4550 रु., (9) रेंवतराम/मुकनाराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 4550 रु., (10) गणपतराम/हीराराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 4550 रु., (11) लिछमा/रेंवतराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 5850 रु., (12) अशोक/श्रीराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 1755 रु., (13) ओमप्रकाश/तुलछाराम, म.सं. 7078, वसूल राशि - 1755 रु., (14) रामस्वरूप/भागीरथ, म.सं. 6534, वसूल राशि - 4550 रु., (15) भागीरथ/किसनलाल, म.सं. 6534, वसूल राशि - 4550 रु., (16) फुलाराम/कानाराम, म.सं. 6534, वसूल राशि - 1755 रु., (17) भीखाराम/डालूराम, म.सं. 6536, वसूल राशि - 4550 रु., (18) सहीराम/भूराराम, म.सं. 6536, वसूल राशि - 4550 रु., (19) सोहनलाल/बुधाराम, म.सं. 6255, वसूल राशि - 1755 रु., (20) रामप्रताप/कालूराम, म.सं. 6258, वसूल राशि - 1755 रु., (21) शांति/कालूराम, म.सं. 6258, वसूल राशि - 1755 रु., (22) तनसुखी/ओमप्रकाश, म.सं. 6258, वसूल राशि - 1755 रु., (23) राजरानी/सोहनलाल, म.सं. 6253, वसूल राशि - 1755 रु., (24) नरसीराम/बुधाराम, म.सं. 6358, वसूल राशि - 1755 रु., (25) सोहनलाल/बुधाराम, म.सं. 6349, वसूल राशि - 1755 रु., (26) रामप्रताप/कालूराम, म.सं. 6349, वसूल राशि - 4550 रु., (27) फुसाराम/श्रीराम, म.सं. 6349, वसूल राशि - 1755 रु., (28) मनोज कुमार/रामकरण, म.सं. 6259, वसूल राशि - 4550 रु., (29) श्रवण कुमार/रामकरण, म.सं. 6259, वसूल राशि - 4550 रु., (30) गणपत/हीराराम, म.सं. 7934, वसूल राशि - 1911 रु., (31) कालूराम/दुरजाराम, म.सं. 6547, वसूल राशि - 5400 रु., (32) रेंवतराम/मुकनाराम, म.सं. 8547, वसूल राशि - 5400 रु., (33) रामप्रताप/कालूराम, म.सं. 8547, वसूल राशि - 5400 रु., (34) गोपाल/हरीराम, म.सं. 7831, वसूल राशि - 5850 रु., (35) द्रोपती/दिलीप कुमार, म.सं. 7831, वसूल राशि - 1617 रु., (36) श्रवण/रामकरण, म.सं. 7762, वसूल राशि - 1755 रु., (37) मनोज कुमार/रामकरण, म.सं. 7762, वसूल राशि - 5200 रु., (38) घनश्याम/जगनाथ, म.सं. 7762, वसूल राशि - 5200 रु., (39) राजकुमार/पुनमचंद, म.सं. 7762, वसूल राशि - 1755 रु., (40) विमा/घनश्याम, म.सं. 7762, वसूल राशि - 1755 रु., (41) रिछपाल/भंवरलाल, म.सं. 7762, वसूल राशि - 5200 रु., (42) किशनलाल/दुरजाराम, म.सं. 7731, वसूल राशि - 5400 रु., (43) रामस्वरूप/भागीरथ, म.सं. 7465, वसूल राशि - 4550 रु., (44) जीतूराम/प्रभूराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (45) गोपाल/हरीराम, म.सं. 7465, वसूल राशि - 1755 रु., (46) विमा/घनश्याम, म.सं. 7465, वसूल राशि - 1755 रु., (47) सुमन/भींवराज, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1485 रु., (48) भींवराज/वृजलाल, म.सं. 7465, वसूल राशि - 4550 रु., (49) प्रियंका/श्यामसुन्दर, म.सं. 7156, वसूल राशि - 1755 रु., (50) सोना/पूर्णाराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (51) दिलीप/रामकरण, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (52) फूलाराम/कानाराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (53) जगदीश/रामेश्वर, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (54) जगदीश/लुणाराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (55) संजय/बीरबल, म.सं. 7465, वसूल राशि - 4550 रु., (56) जेठी/रामस्वरूप, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (57) हडमान/सीताराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1755 रु., (58) शांति/गोपीराम, म.सं. 7465, वसूल राशि - 1755 रु., (59) श्रवण कुमार/रामकरण, म.सं. 7467, वसूल राशि - 4550 रु., (60) मनोज/रामस्वरूप, म.सं. 7467, वसूल राशि - 4550 रु., (61) गणपत/हीराराम, म.सं. 7467, वसूल राशि - 1755 रु., (62) ओमप्रकाश/तुलछाराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 4550 रु., (63) डाईराम/मालूराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1755 रु., (64) रामकरण/दुरजाराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1755 रु., (65) हेतराम/उदाराम, म.सं. 7468, वसूल राशि - 1755 रु., (66) रेंवतराम/मुकनाराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (67) रामस्वरूप/हेतराम, म.सं. 7331, वसूल राशि -

1755 रु., (68) लिछमा/रेंवतराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु., (69) लिछमा/रेंवतराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (70) फुसाराम/खुमाणाराम, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (71) भीखाराम/डालुराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (72) सहीराम/भूराराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (73) सोहनलाल/बुधाराम, म.सं. 7332, वसूल राशि - 4550 रु., (74) ग्यानी/पूनमचंद, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (75) राजरानी/सोहनलाल, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (76) बुधाराम/चौथाराम, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (77) सीमा/बुधाराम, म.सं. 7331, वसूल राशि - 1755 रु., (78) हेमाराम/खेताराम, म.सं. 7350, वसूल राशि - 1755 रु., (79) रामप्रताप/कालूराम, म.सं. 7350, वसूल राशि - 4550 रु., (80) तनसुखी/ओमप्रकाश, म.सं. 7350, वसूल राशि - 4550 रु., (81) कमला/रामप्रताप, म.सं. 7350, वसूल राशि - 2800 रु., (82) शांति/कालूराम, म.सं. 7350, वसूल राशि - 1755 रु., (83) हेतराम/उदाराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु., (84) विमा/घनश्याम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु., (85) राजाराम/गंगाविशन, म.सं. 7328, वसूल राशि - 4550 रु. (86) रामकिशन/शंकरलाल, म.सं. 7328, वसूल राशि - 4550 रु., (87) लालूराम/मालूराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 4550 रु., (88) भंवरलाल/किशनलाल, म.सं. 7328, वसूल राशि - 4550 रु., (89) हड़मान/सीताराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु., (90) राजेन्द्र/धुडाराम, म.सं. 7328, वसूल राशि - 1755 रु.। उक्त 90 श्रमिकों से कुल 2,70,518 रुपये वसूल कर राजकोष में जमा करवाये गये थे। आरोपीगण के उक्त कथन की सत्यता की जांच के लिए वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सांवतसर श्री मूलाराम से ग्राम पंचायत का रिकार्ड प्राप्त किया जाकर बयान लेखबद्ध किये गये, जिसमें आरोपीगण के बताये गये कथनों की पुष्टि होती है। ग्राम विकास अधिकारी से उक्त 90 श्रमिकों के नामों की सूची मय वसूल की गई राशि के विवरण सहित तथा उक्त राशि के ग्राम पंचायत के खाते में जमा किये जाने के साक्ष्य के रूप में ग्राम पंचायत की रोकड़ पंजिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। सम्पूर्ण जांच के दौरान प्राप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से पाया गया है कि ग्राम पंचायत सांवतसर के पूर्व सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल ने अपने कार्यकाल (साल 2010 से 2015) में करवाये गये विकास कार्यों में करीब 90 श्रमिकों को दोहरा भुगतान उनके बैंक खातों में जमा करवा दिया, अर्थात् एक ही श्रमिक का नाम एक ही समय में चल रहे अलग-अलग कार्यों के मस्टर रोल में कारीगर/श्रमिक के रूप में अंकित कर दिया तथा उन दोनों कार्यों का भुगतान सम्बंधित के बैंक खातों में जमा करवा दिया गया। जब ग्राम पंचायत को उक्त दोहरे भुगतान के तथ्य संज्ञान में आये तो ग्राम पंचायत द्वारा सम्बंधित श्रमिकों से उक्त दोहरे भुगतान की राशि को वसूल करके पंचायत कोष में जमा करवा दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त 90 कारीगर/मजदूर से दोहरे भुगतान की हुई कुल राशि 2,70,518 रुपये को राजकोष में जमा करवा दिया गया। जिन कार्यों का भुगतान किया गया है, मौके पर वो सभी कार्य हो रहे हैं। जिन कार्यों की मजदूरी की राशि वसूल करके जमा करवाई गई, उन कार्यों की मजदूरी की राशि तत्कालीन सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल द्वारा वहन की गई। इस प्रकार उक्त कार्यों में राजकोष को किसी प्रकार से हानि नहीं हुई है। प्राथमिक जांच के परिवादी श्री जगदीश द्वारा उक्त इस्तगासा माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में दिनांक 12.06.2015 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि दोहरे भुगतान की राशि सम्बंधित से वसूल की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा माह फरवरी 2014 में ही जमा करवा दी गई थी, अर्थात् शिकायत होने से करीब 15-16 माह पूर्व ही दोहरे भुगतान की राशि को राजकोष में जमा करवा दिया गया था। उक्त दोहरे भुगतान की शिकायत न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत होने से पूर्व विभाग स्तर पर किसी प्रकार की शिकायत होने के सम्बंध में पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ से जानकारी प्राप्त की गई, तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 05.12.2014 को श्री रामचन्द्र, पंचायत समिति सदस्य व समस्त ग्रामवासी के नाम से एक शिकायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर को प्रस्तुत की गई थी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत जांच हेतु विकास अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ को प्रेषित की गई। इसी प्रकार परिवादी जगदीश पुत्र रामधन बिष्णोई निवासी सांवतसर द्वारा सरपंच ओमप्रकाश के खिलाफ दोहरे भुगतान के सम्बंध में एक लिखित शिकायत दिनांक 28.04.2015 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ को की गई थी। उक्त दोनों शिकायतों पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। उक्त दोनों शिकायतें भी दोहरे भुगतान की राशि सम्बंधितों से वसूल की जाकर ग्राम पंचायत खाते में जमा करवाने के करीब 10 माह व 14 माह बाद की गई है, अर्थात् शिकायत होने से काफी पहले ही सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा दोहरे भुगतान की राशि को राजकोष में जमा करवा दिया गया था। सम्पूर्ण जांच से केवल एक तथ्य अनुत्तरित है कि जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय में दो स्थानों पर कार्य किये जाने के तथ्य रिकार्ड पर आये हैं तथा मौके पर दोनों कार्य भौतिक रूप से हो रहे हैं, तब दूसरे स्थान पर श्रमिक/कारीगर के रूप में कार्य किसने किया उक्त प्रश्न तत्कालीन सरपंच ओमप्रकाश व तत्कालीन ग्रामसेवक पृथ्वीराज तिवाड़ी से पूछा गया तो उनके द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया गया तथा अपने कथनों में कहा कि भूलवश एक ही श्रमिक का नाम समान समय के दो अलग-अलग स्थानों पर हो रहे कार्यों के मस्ट्रोलों में लिखा गया तथा एक ही व्यक्ति को मस्ट्रोलों के आधार पर दोनों कार्यों का भुगतान हो गया था। जब दोहरे भुगतान होने की जानकारी प्राप्त हुई तो दोहरे भुगतान की राशि सम्बंधित से वसूल की जाकर ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवा दी गई। इससे राजकोष को हानि नहीं होकर एक कार्य के मजदूरी की राशि सरकार की नहीं लगने के कारण राजकोष को फायदा हुआ है। सम्पूर्ण जांच के दौरान प्राप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से

पाया गया है कि उक्त कार्यकाल में आरोपी सरपंच द्वारा एक ही समय में दो अलग-अलग स्थानों पर करवाये गये कार्यों के मस्टर रोलों में समान व्यक्तियों/श्रमिकों के ही नाम अंकित किये गये एवं दोनों मस्टर रोलों की राशि श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करवाई गई। दोहरे भुगतान की जानकारी होने पर आरोपीगण सरपंच द्वारा उक्त दोनों मस्टर रोल में से एक मस्टर रोल की राशि राजकोष में जमा करवा दी गई। परन्तु उपरोक्तानुसार वसूली होने के बाद दो स्थानों पर हुए कार्यों में से एक स्थान के कार्य की मजदूरी का ही राजकोष से भुगतान हुआ है, दूसरे स्थान के कार्यों की मजदूरी का भुगतान राजकोष से आहरित नहीं हुआ है। यहां यह प्रश्न बनता है कि जब मौके पर कार्य हुआ है तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया तथा इसका भुगतान किस माध्यम से हुआ। इसका जांच से कोई प्रमाण नहीं पाया गया है तथा ना ही ग्राम पंचायत के पास इस सम्बंध में कोई रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य के सम्बंध में जांच से कोई प्रमाण नहीं पाया गया है तथा ना ही इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आगे कोई साक्ष्य पाया जाना संभव प्रतीत होता है। तत्पश्चात् जांच के दौरान तत्कालीन जांच अधिकारी द्वारा जरिये पत्राचार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ के कार्यालय पत्र क्रमांक:-पंसडू/स्थापना/2020/7180 दिनांक-9/12/2020 के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार पक्के निर्माण कार्य हेतु जारी मस्ट्रोलों में मजदूरों के नाम संबंधित कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता है। उक्त मस्ट्रोलों में कारीगर/श्रमिक का नाम एक ही समय में दो जगह अंकित होना स्वतः ही अनियमितता की श्रेणी में आता है। तत्पश्चात् जांच के दौरान तत्कालीन अग्रिम जांच अधिकारी श्री आनंद कुमार, पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये पत्राचार कार्यालय ग्राम पंचायत सांवतसर, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक:-एसपीएल-01 दिनांक-24.11.2021 के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान श्रमिकों को किये गये दोहरे भुगतान की वसूल राशि 2,70,518/- रुपये ग्राम पंचायत की निजी आय मद में जमा की गई। ग्राम पंचायत में करवाये जा रहे कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत ही होती है, जिसमें सरपंच व ग्राम सेवक का ही उत्तरदायित्व होता है। तत्पश्चात् प्राथमिक जांच हाजा में उपरोक्तानुसार विस्तृत जांच संपन्न होने के उपरांत कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक:-एसीबी/बीका/2022/4669 दिनांक:-01.11.2022 द्वारा जांच रिपोर्ट मय पत्रावली माननीय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर के समक्ष पेश अदालत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 12.10.2023 द्वारा जांच पत्रावली प्रकरण में उपयुक्त एवं अग्रिम अनुसंधान के लिए एसीबी को पुनः लौटाई गई। निवेदन है कि प्राथमिक जांच हाजा में उपरोक्तानुसार संपादित संपूर्ण जांच के आधार पर यह निष्कर्ष पाया गया है कि ग्राम पंचायत सांवतसर के पूर्व सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल के कार्यकाल (साल 2010 से 2015) में करवाये गये विकास कार्यों में करीब 90 श्रमिकों को दोहरा भुगतान उनके बैंक खातों में जमा करवा दिया गया अर्थात् एक ही श्रमिक का नाम एक ही समय में चल रहे अलग-अलग कार्यों के मस्टर रोल में कारीगर/श्रमिक के रूप में अंकित कर दिया तथा उन दोनों कार्यों का भुगतान सम्बंधित के बैंक खातों में जमा करवा दिया गया। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा उक्त 90 कारीगर/मजदूर से दोहरे भुगतान की हुई कुल राशि 2,70,518/- रुपये को ग्राम पंचायत की निजी आय मद में जमा करवा दिया गया। जिन कार्यों का भुगतान किया गया है, मौके पर वो सभी कार्य हो रहे हैं। जांच से स्पष्ट हुआ है कि जिन कार्यों की मजदूरी की राशि वसूल करके जमा करवाई गई, उन कार्यों की मजदूरी की राशि तत्कालीन सरपंच श्री ओमप्रकाश मेघवाल द्वारा ही वहन की गई। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय में दो स्थानों पर कार्य किये जाने के तथ्य रिकार्ड पर आये हैं तथा मौके पर दोनों कार्य भौतिक रूप से हो रहे हैं, तब दूसरे स्थान पर श्रमिक/कारीगर के रूप में कार्य किसने किया जब मौके पर कार्य हुआ है तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया तथा इसका भुगतान किस माध्यम से हुआ इसका जांच से कोई प्रमाण नहीं पाया गया है तथा ना ही ग्राम पंचायत के पास इस सम्बंध में कोई रिकार्ड पाया गया है। इस प्रकार मस्टररोलों में कारीगर/श्रमिकों के नाम एक ही समय में 2 जगह अंकित कर उन्हें भुगतान कर राजकोष को नुकसान पहुंचाना भारी अनियमितता है। ग्राम पंचायत में दो जगह पर चल रहे मस्टररोलों पर एक ही समय में समान मजदूर का कार्य करना संभव ही नहीं है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार एक बार अपराध घटित हो जाने के उपरांत आरोपीगण द्वारा उक्त दुर्विनियोजित राशि को आहरित मद से भिन्न ग्राम पंचायत की निजी आय मद में वापस जमा करवा देने मात्र से आरोपीगण की आपराधिक मंशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तथा अपराध तो घटित हुआ ही है। इस प्रकार आरोपीगण श्री ओमप्रकाश मेघवाल, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर व श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर (हाल सेवानिवृत्त) द्वारा आपसी मिलीभगत करते हुए कुल 90 श्रमिकों को कुल राशि 2,70,518/- रुपये का दोहरा भुगतान किया गया। तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार किये गये उक्त दोहरे भुगतान की राशि जिस मद में आबंटित हुई थी, उस मद में जमा नहीं करवाकर बेईमानीपूर्वक आशय से स्वयं को दण्ड से बचाने के लिए आहरित मद से भिन्न ग्राम पंचायत सांवतसर की निजी आय मद में राशि जमा करवाई जाना पाई गई। आरोपीगण द्वारा उपरोक्तानुसार भ्रष्ट व अवैध साधनों से आपराधिक षड्यंत्र कर, लोकसेवक की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए बेईमानी व कपटपूर्वक आशय से कुल 90 श्रमिकों के अपात्र होते हुए भी नियंत्रणाधीन राजकीय राशि कुल 2,70,518/- रुपये का दुर्विनियोग कर दोहरा भुगतान करने व बाद में स्वयं को दण्ड से बचाने के लिए उक्त राशि आरोपीगण द्वारा राजकोष में जमा करवाये जाने के संबंध में कारित कृत्य अपराध

अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व 120 बी भादंसं तथा धारा 409, 477 (क) सपठित धारा 120 बी भादंसं में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। अतः उपरोक्त आधार पर आरोपीगण 1. श्री ओमप्रकाश मेघवाल पुत्र श्री कालूराम, उम्र 46 साल, निवासी गांव सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर व 2. श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी पुत्र श्री लेखराम, उम्र 70 साल, निवासी वार्ड नं. 30, गांधी चौक, नापासर, जिला बीकानेर, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर (हाल सेवानिवृत्त) व अन्य के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व 120 बी भादंसं तथा धारा 409, 477 (क) सपठित धारा 120 बी भादंसं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है। श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व 120 बी भादंसं तथा धारा 409, 477 (क) सपठित धारा 120 बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री ओमप्रकाश मेघवाल पुत्र श्री कालूराम, उम्र 46 साल, निवासी गांव सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर व 2. श्री पृथ्वीराज तिवाड़ी पुत्र श्री लेखराम, उम्र 70 साल, निवासी वार्ड नं. 30, गांधी चौक, नापासर, जिला बीकानेर, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत सांवतसर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर (हाल सेवानिवृत्त) व अन्य के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 887 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1276-81 दिनांक 25-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:- 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3- विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर। 4- उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर (प्राथमिक जांच संख्या 49/2015) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): SHARWAN KUMAR Rank

निरीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम): BISHNOI (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan, IN
Date: 25/10/2024 10:38:04

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|----------------|------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1978 | | | | |
| 2 | Male | 1954 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)